(253)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : जे0 के0 जैन

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4199/2018/शिवपुरी/मू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 20—06—2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 487/अपील/2016—17

1. राममिलन
2. रूपसिंह
3. केरन सिंह पुत्रगण किशनलाल लोधी
   निवासीगण ग्राम लहर्रा तहसील पिछोर
   जिला शिवपुरी म0प्र0

——आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीपति
2. किशनलाल पुत्रगण गोपाल लोधी
   निवासीगण ग्राम लहर्रा तहसील पिछोर
   जिला शिवपुरी म0प्र0

——अनावेदकगण

— — — — — —

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक अनावेदक कमांक 2

— — — — — —

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 24-8-19 2019)

— — — — —

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 20—6—2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहित 1959

(जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के द्वारा ग्राम लहर्रा की मौजीलाल के स्वामित्व की भूमि पर विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी कमकांक 12 दिनांक 10–4–2015 के द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने आदेश दिनांक 28–2–2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामांतरण पंजी पर पारित आदेश निरस्त किया और वारिस के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने अदेश दिनांक 20–6–2018 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि के तीन सहखातेदार थे तीनों भाईयों का 1/3 हिस्सा था। एक भाई मौजीलाल की कोई औलाद नहीं थी उनके द्वारा अपने अंश रकबे का आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र संपादित किया। तहसील न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण पारित किया था। तहसील न्यायालय में उद्घोषणा जारी की गई थी एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई। नामांतरण नियमों का पालन कर नामांतरण किया गया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय नामांतरण करने के लिए बाध्य हैं। आवेदक को विकय पत्र से प्रश्नाधीन भूमि का हक प्राप्त हुआ था। यदि वह विकय पत्र के बाद नामांतरण भी नहीं कराता तब भी उसको स्वत्व प्राप्त हो चुका था। नामांतरण की कार्यवाही अभिलेख अद्यतन रखने की प्रकिया है।

मृतक मौजीलाल द्वारा आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र संपादित किया था जिसे अकृत करने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। इस संबंध में 1993 आर एन 174 का न्यायादृष्ट पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त द्वारा भी इन बिन्दुओं पर बिना विचार किये अपील निरस्त कर दी गई। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विकय पत्र को न मानकर वारिस के आधार पर नामांतरण आदेश देने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। तर्क के समर्थन में 1984 आर एन 365, 1988 आर एन 222, 2005 आर एन 45 एवं 1984 आरएन 194 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदक कं 1 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक द्वारा फर्जी विकय पत्र के आधार पर पीठ पीछे नामांतरण पंजी पर तहसील न्यायालय से नामांतरण करा लिया। मृतक मौजीलाल 8 वीं तक पढ़ालिखा था तथा हस्ताक्षर करता था जबकि विकय पत्र पर अंगूठा निशानी है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के एक दिन पूर्व विकय पत्र संपादित किया गया है जो अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने विकय पत्र को संदिग्ध मानकर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है और वारिस हक में नामांतरण के आदेश दिये हैं। अनावेदक अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक अभिभाषक उपस्थित थे और उनके द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने का लेख किया है। एक बार हिदायत पैरवी नहीं होने के बाद पुनः अपील अथवा निगरानी आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह सही है कि विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है पर सूक्ष्म जांच कर नामांतरण करने से इन्कार किया जा सकता है। दोनों अपीलीय न्यायालय के समतर्वी निष्कर्ष है जो सही है, अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया। तर्क के समर्थन में 1995 आर एन 382 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया।

प्रतिउत्तर में आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है जब तक व्यवहार न्यायालय से शून्य घोषित नहीं हो जाती तब तक विकय पत्र के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिए। अनावेदक को व्यवहार न्यायालय में विकय पत्र को चुनौती देनी चाहिए थी। जब तक व्यवहार न्यायालय विकय पत्र शून्य घोषित नहीं करता तब तक राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।

5/ अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक द्वारा आवेदक के तर्कों का समर्थन करते हुये विकय पत्र के आधार पर पारित आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

6/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में भूमिस्वामी मौजीलाल की ओर से संपादित विकय पत्र के आधार पर आवेदक ने नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त विकय पत्र मृतक मोजीलाल की मृत्यु के एक दिन पूर्व संपादित किया गया है। मृतक मौजीलाल 8 वीं तक पढ़ा–लिखा था तथा हस्ताक्षर करता था जबकि विकय पत्र पर अंगूठा निशानी होने से उक्त विकय पत्र पर संदेह उत्पन्न हो जाता है। आवेदक अभिभाषक मौजीलाल के हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई प्रतिवाद नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने विकय पत्र को संदिग्ध मानकर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है और वारिस हक में नामांतरण के आदेश दिये हैं। यह सही है कि विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता व्यवहार न्यायालय को प्राप्त हैं किन्तु राजस्व न्यायालय विकयपत्र की वैधता के संबंध में संक्षिप्त जांच कर नामांतरण करने से इंकार कर सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में आवेदक की ओर से विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और उपस्थित होते हुये भी हिदायत पैरवी न होने से प्रकरण आगे संचालित नहीं करने का तर्क किया था। यह सही है कि वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहे और उनको प्रकरण की सूचना थी। यदि उनको कोई आपत्ति थी तब

उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस संबंध में भी आवेदक अभिभाषक ने कोई खण्डन इस न्यायालय में नहीं किया गया। अनुविभागयीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा किये गये नामांतरण को उचित नहीं माना है। मृतक मौजीलाल निसंतान फौत हुये थे इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने वारिसान हक में नामांतरण के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश दिनांक 20–6–2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 28–2–2017 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं।

(जे0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर